	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 24, गुरूवार, *शाके* 1941–फरवरी 13, 2020 *Magha 24, Thursday, Saka 1941 –February 13, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त (आबकारी) विभाग

आज्ञा

जयपुर, फरवरी 08, 2020

संख्या प4(1) वित्त/आब/2020 :-राज्य सरकार द्वारा, आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2020-21 निम्नानुसार निर्धारित एवं आदेशित की गई हैः-

प्रस्तावना

मद्य संयम के तहत विभिन्न वित्तीय, सामाजिक एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार प्रतिबद्ध हैः-

सामाजिक

उपभौक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पाद उपलब्ध करवाना तथा मदिरा के बढ़ते प्रचलन को हतोत्साहित करना।

उत्तरदायित्व

आम जन में शराब के दुष्प्रभावों को प्रचारित करना एवं उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना।

वित्तीय

राजस्व के ह्रास को इस नीति में निहित प्रावधानों एवं निरोधात्मक गतिविधियों द्वारा रोकना

(1) अवधिः-

आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2020-21 (दिनांक 1-4-2020 से दिनांक 31-3-2021) के लिये होगी। जिसको एक और वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।

1.2 आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2020-21 में किये गये बदलाव जिसका प्रभाव राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 या अन्य आबकारी से सम्बन्धित विधियों, अधिनियमों, नियमों तथा उप-नियमों तक है, उनका सम्बन्धित विधियों/नियमों/ उपनियमों में संशोधन कर अधिसूचित किया जाकर गजट में प्रकाशन किया जावेगा।

(2) बन्दोबस्त की प्रणालीः-

वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा भानिविम/बीयर एवं भांग का बन्दोबस्त निम्न प्रणाली अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

2.1 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के वर्ष 2020-21 के अनुज्ञापत्र समूहवार निर्धारित एकाकी विशेषाधिकार राशि पर एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित किये जायेंगे।

2.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के खुदरा अनुज्ञापत्र दुकानवार निश्चित वार्षिक लाईसेन्स फीस पर आवंटित किये जायेंगे।

2.3 भांग समूहों का निविदायें आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा।

(3) देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML):-

3.1 बन्दोबस्त की प्रक्रिया:-

वर्ष 2020-21 हेतु निश्चित वार्षिक राशि पर नये आवेदन आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा। देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त, राजस्थान द्वारा जारी किये जायेगें, जिन्हें विभागीय वेबसाईट के अलावा आवेदन पत्र के साथ भी उपलब्ध कराया जायेगा।

3.1.1 जिन समूहों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, ऐसे समूहों के लिये पूर्व व्यवस्था अनुरूप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लाटरी निकाली जाकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक समूह से अधिक समूहों का आवंटन नही किया जायेगा।

3.1.2 सिविल अपील संख्या 12164-12166 राज्य बनाम के बालू. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 तथा इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 12170/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2017 की तथा उक्त की निरन्तरता में स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल संख्या 10243 ऑफ 2017 अराईव सेफ सोसायटी ऑफ चण्डीगढ बनाम द यूनियन टेरिटेरी ऑफ चण्डीगढ व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2017 एवं सिविल अपील संख्या 12164-12166 ऑफ 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 23.02.2018 के क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो (National highways and State highways) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दूरी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

3.2 समूहों का गठन:-

वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) समूहों की संख्या को यथावत 5543 रखा जाता है, दुकानों की संख्या को वर्ष 2020-21 में भी 6665 को यथावत रखा जायेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 12164-12166 तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू में निर्णय दिनांक 15-12-2016 के द्वारा भारत के समस्त राज्यों में राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गो से रिटेल ऑफ खुदरा दुकानों की न्यूनतम दूरी 500 मीटर निर्धारित किये जाने के निर्णय से ऐसी दुकानों के स्थल परिवर्तन से होने वाले प्रभाव, शहरी क्षेत्र की सीमा में वृद्धि, वार्ड की सीमाओं में परिवर्तन एवं वर्तमान में रिक्त वार्ड/ग्राम पंचायत को समूह के क्षेत्र में शामिल करने एवं जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में एक से अधिक दुकानों वाले समूहों को तोड़कर

रिक्त पंचायतों में नये समूहों का गठन को दृष्टिगत करते हुये यथा सम्भव जनसंख्या के अनुपात में दुकानों के वितरण हेतु मदिरा समूहों के क्षेत्रों का पुर्ननिर्धारण एवं तद्नुसार वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का विवेकीकरण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

उपर्युक्त अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रचलित देशी मदिरा समूहों का पुर्नगठन किये जाने के उपरान्त वर्ष 2020-21 के लिये देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) समूहों/दुकानों की वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का निर्धारण किया जायेगा।

3.3 आवेदन शुल्कः-

3.3.1 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)समूहों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः-

श्रेणी	आवेदन शुल्क (रूपये)
वर्ष 2020-21 के लिए 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	25000/-
वर्ष 2020-21 के लिए 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	30000/-

आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदन के लिये पृथक-पृथक देय होगा जो कि अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

3.3.2 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में संबंधित समूह की एकाकी विशेषाधिकार राशि का पुनः निर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

3.4 वार्षिक राशि (एकाकी विशेषाधिकार राशि) का निर्धारणः-

3.4.1 वर्ष 2020-21 के लिये वार्षिक राशि का निर्धारणः- वर्ष 2020-21 में प्रचलित देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) समूहों के लिये निर्धारित वार्षिक राशि का बिन्दु संख्या 3.2 के अनुसार विवेकीकरण किया जाकर देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) समूहों के लिये समूहवार वार्षिक राशि निर्धारित की जायेगी। विवेकीकरण के उपरान्त समूह के लिये प्रस्तावित वार्षिक राशि में वर्ष 2019-20 में समूहों हेतु प्राप्त आवेदनों के अनुसार समूहों के लिये वार्षिक राशि का निर्धारण विवेकीकरण के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु विस्तृत दिशानिर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें।

3.4.2 वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के उठाव के लिये जमा कराये गये आबकारी शुल्क का भराव सम्बन्धित वर्ष के लिये निर्धारित मासिक गारन्टी पूर्ति के लिए मदिरा निर्गम हेतु देय आबकारी शुल्क का भराव सम्पूर्ण वार्षिक राशि के पेटे दिया जायेगा ।

3.4.3 वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसकी विक्रय मात्रा लगभग 32.45 करोड़ बल्क लीटर होने की संभावना है इस मात्रा की कुल एकाकी विशेषाधिकार राशि का आबकारी नीति के बिन्दु 3.4.2 के अनुसार न्युनतम 30 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)

का होगा। निर्धारित एकाकी विशेषाधिकार राशि का वितरण आबकारी जिलों के मध्य गत वर्षों में हुए बन्दोबस्त, गारन्टी पूर्ति तथा देशी मदिरा के उठाव के आंकड़ों, जनसंख्या तथा अन्य आर्थिक पहलूओं के आधार पर युक्तिकरण कर किया जावेगा।

3.4.4 आबकारी नीति वर्ष 2019-20 में भा0नि0वि0म0 की प्रथम दो स्लेब के उठाव को वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में अधिकतम 5 प्रतिशत भराव के प्रावधान को समाप्त किया जाता है।

3.5 अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि:-

3.5.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि की 14.5 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के रूप में दिनांक 01.04.2020 से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी।

3.5.2 इस 14.5 प्रतिशत अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि का वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह जनवरी से फरवरी तक 4 प्रतिशत राशि प्रतिमाह तथा माह मार्च में 6.5 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम हेतु देय आबकारी शुल्क अथवा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में समायोजन किया जा सकेगा।

3.6 धरोहर राशि:-

3.6.1 वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 4 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि के रूप में आवेदन की शर्तो के अनुरूप राजकोष में जमा करानी होगी।

3.7 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) उत्पादन एवं आपूर्ति अनुपात:-

3.7.1 वर्ष 2020-21 में 40, 50, 60 यू.पी. ईएनए/रेक्टिफाईड स्प्रिट देशी मदिरा तथा ''राजस्थान निर्मित मदिरा" (RML) 25 यूपी तेजी की मदिरा जो ईएनए निर्मित होगी, जिसका उत्पादन एवं आपूर्ति निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है:-

3.7.1.1 राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)25 यु.पी की ई0एन0ए0 से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त मदिरा होगी जिसमें व्हिस्की, रम, वोदका, जिन आदि के ब्रांड होंगें, जिनका राजस्थान में स्थित देशी मदिरा का उत्पादन व बोटलिंग करने वाली ईकाईयां द्वारा ही उत्पादन एवं आपूर्ति की जा सकेगी। उत्पादन एवं आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होने पर इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा। राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)हेतु विशिष्ट उल्लेख के अलावा अन्य प्रावधान देशी मदिरा के लगेंगे।

3.7.1.2 राज्य के मद्य संयम नीति की पालना हेतु एवं उपभोगकर्ता को सस्ती व उच्च गुणवत्ता की स्थानीय मदिरा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)का हिस्सा कुल एकाकी विशेषाधिकार राशि का 30 प्रतिशत न्यूनतम रखा जाता है तथा शेष 70 प्रतिशत हिस्सा देशी मदिरा का होगा, जिसमें से 50/60 यूपी का हिस्सा न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा 5 यूपी से 40 यूपी की देशी मदिरा का 60 प्रतिशत हिस्सा होगा। आबकारी आयुक्त इस हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेंगे।

3.7.1.3 40, 50 एवं 60 यू.पी. की मदिरा की 180 मिली धारिता पात्र की आपूर्ति पेट/ग्लास/एसेप्टिक ब्रिक पैक में की जा सकेगी तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) की धारिता 180 मिली में होगी जो ग्लास पात्र तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में अनुमत होगी एवं अन्य धारिता की आपूर्ति ग्लास पात्र में ही की जायेगी।

3.7.1.4 निजी डिस्टलरीज, बोटलिंग प्लांट एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा निर्मित देशी मदिरा की कुल आपूर्ति का न्यूनतम 15 प्रतिशत आपूर्ति ग्लास पात्रों में की जायेगी। राजस्थान निर्मित मदिरा आरएमएल हेतु तय मात्रा का 3 प्रतिशत एसेप्टिक ब्रिक पेक में अपूर्ति की जावेगी। इसी प्रकार देशी मदिरा की 3 प्रतिशत एसेप्टिक ब्रिक पेक में आपूर्ति की जायेगी।

3.7.1.5 विभिन्न जिलों में ग्लास पात्र में देशी मदिरा की मांग के अनुरूप आपूर्ति निजी उत्पादनकर्ताओं द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में इसकी आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा की जायेगी। जिसके लिए निजी आपूर्तिकर्ता से रूपये 70/- प्रति कार्टन की दर से राशि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा वसूल की जायेगी। इसके लिये आबकारी आयुक्त द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

3.7.1.6 राजस्थान गंगानगर शुगर मिल द्वारा उत्पादित चन्द्रहास, सौफ, जगमोहन, रोयलकेशर, रोयलरोज और मवालिन ब्राण्ड की मदिरा आर.एस.जी.एस.एम. के डिपो के माध्यम से भी विक्रय किये जायेगे। इसके विस्तृत दिशानिर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगे।

3.7.2 वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा आपूर्ति का अनुपात राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का अधिकतम 43 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट का संयुक्त रूप से न्यूनतम 57 प्रतिशत होगा। निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट के संयुक्त रूप से न्यूनतम 57 प्रतिशत हिस्से में से निजी बोटलिंग प्लांट का हिस्सा न्यूनतम 12 प्रतिशत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3.7.3 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. संविदा आधारित भराई व्यवस्था के अन्तर्गत निजी बोटलर्स से भी देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) मदिरा भराई करवा सकेगा।

3.7.4 देशी मदिरा का आयात:-
वर्ष 2019-20 की व्यवस्था के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में देशी मदिरा की सप्लाई में कमी की स्थिति में राज्य सरकार राज्य के बाहर से भी देशी मदिरा के आयात की अनुमति प्रदान कर सकेगी ।

3.7.5 देशी मदिरा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला प्रासव:- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के बोटलर्स के द्वारा शोधित प्रासव का आयात अन्य राज्यों

से किया जाता है। शोधित प्रासव के आयात में ग्रेन आधारित एवं मोलासेस आधारित शोधित प्रासव का अनुपात यथावत क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

3.7.6 देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा के निर्गम का प्रतिशतः- अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह मे उठाव की मात्रा का न्युनतम 30 प्रतिशत 25 यूपी राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)का हिस्सा तथा शेष मासिक एकाकी विशेषाधिकार के लिए तय मात्रा का न्युनतम 40 प्रतिशत मदिरा 50/60 यू.पी. में एवं अधिकतम 60 प्रतिशत 40 यूपी की देशी मदिरा का उठाव आवश्यक होगा। अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नही करने की स्थिति में संबंधित त्रैमास के अन्य माह/माहों में देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से समायोजन होगा।

3.7.6.1 एक त्रैमास में निर्धारित प्रतिशत से कम मदिरा का उठाव करने पर अनुज्ञाधारी को मदिरा की गारन्टी पूर्ति के लिये देय आबकारी शुल्क मदिरा के वास्तविक उठाव से गारन्टी पूर्ति के अन्तर की राशि एवं बेसिक लाईसेंस फीस पृथक से नकद जमा करवानी होगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें।

3.7.6.2 अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह की एकाकी विशेषाधिकार राशि की निर्धारित प्रतिशत गारन्टी पूर्ति के उठाव से किये जाने की शर्त में राज्य के लिये निर्धारित अनुपात को बनाये रखते हुये, जिला विशेष के लिये देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)की तेजी के प्रकार के उठाव में आबकारी आयुक्त द्वारा छूट दी जा सकेगी।

3.7.7 वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)तथा देशी मदिरा का मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 100 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 100 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 40 प्रतिशत छूट दी जायेगी। जिसका प्रति त्रेमासिक आधार पर आगणित किया जावेगा परन्तु इसके साथ ही राजस्थान निर्मित मदिरा का न्युनतम 30 प्रतिशत उठाव होना आवश्यक होगा। यह छूट मासिक एकाकी विशेषाधिकार के 150 प्रतिशत अधिकतम तक ही छूट मिलेगी तथा आगामी वर्ष में दुकान/समुह के इपीए निर्धारण में इसको सम्मिलित नहीं किया जावेगी।

3.7.8 मदिरा भराई के लिये उपयोग में लाई जाने वाली पेट बोतल की गुणवत्ता के विषय में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना उत्पादनकर्ताओं द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

3.8 देशी मदिरा का थोक निर्गम मूल्य:

3.8.1 वर्ष 2019-20 हेतु 40 यू.पी., 50 यू.पी. एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा के पेट पव्वों के एक कार्टन का थोक विक्रय मूल्य क्रमशः रुपये 460/-, 430/- तथा 320/- निर्धारित है। 40 यूपी ग्लास के कार्टन का निर्गम मूल्य रूपये 500/- निर्धारित है।

3.8.2 वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा की उक्त तीनो श्रेणियों की मदिरा का थोक निर्गम मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं	देशी मदिरा की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रुपये में)		
		ग्लास	पेट	एसेप्टिक ब्रिक पैक
रेक्टीफाईड स्प्रिट				
1	40 यू.पी.	500	460	500
2	50 यू.पी.	-	430	430
3	60 यू.पी.	-	320	320
ई0एन0ए0 निर्मित				
1	40 यू.पी.	515	475	515
2	50 यू.पी.	-	443	443
3	60 यू.पी.	-	-	-
राजस्थान निर्मित मदिरा				
1	25 यूपी	550	-	550

थोक निर्गम मूल्य में थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन भी सम्मिलित है। देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के निर्गम मूल्य में एथेनॉल/स्प्रिट की बढ़ती मांग व मूल्य की दशा में आवश्यक होने पर संशोधन राज्य सरकार द्वारा किये जा सकेंगे।

3.8.3 मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रासव, पात्र एवं अन्य विविध खर्चों के आधार पर पव्वों के कार्टन के किये गये निर्गम मूल्य निर्धारण के अनुरूप ही अद्धा एवं बोतल के कार्टन के निर्गम मूल्य का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया गया है। देशी मदिरा (RS) के निर्धारित मूल्य के आधार पर वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा (ENA) के पव्वा, अद्धा एवं बोतल का मूल्य निर्धारण भी आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है, जिस व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

3.8.4 वर्ष 2020-21 के लिये वर्ष 2019-20 के अनुरूप ही 40 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स लाल रंग के होंगे तथा लेबल्स पर सुस्पष्ट (Conspicuous) रूप से ‘‘स्ट्रोंग मदिरा" अंकित किया जाना तथा 50 एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स का नीला रंग रखे जाने का निर्णय यथावत रखा जाता है।

3.8.5 मासिक एकाकी विशेषाधिकार के कोटे को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था - मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में एक अनुज्ञाधारी अपने समान अन्य अनुज्ञाधारी को अपने बुनियादी अंश (Basic Quota) के त्रैमासिक आधार पर अपने कोटे के अंश विशेष को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस बाबत बिक्री की शर्तें अंश विशेष को प्राप्त करने वाले अनुज्ञाधारी तथा

अंश विशेष को देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा पारस्परिक आधार पर तय की जा सकेगी। स्थानान्तरित मात्रा को देने वाले के कोटे से कम किया जावेगा परन्तु मासिक विशेषाधिकार में कोई बदलाव नहीं किया माना जायेगा। इस प्रकार के कोटे का आपसी स्थानान्तरण ऑनलाइन स्वीकृत किया जाने की व्यवस्था की जावेगी। इस प्रकार के कोटे के स्थानान्तरण हेतु देशी मदिरा के लिए 10 रूपये प्रति बल्क लीटर राजकोष में कोटा देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा ट्रांस्फर फीस के रूप में जमा कराना होगा, परन्तु, उपर्युक्त प्रावधान सम्बन्धित आबकारी जिले में ही स्थानान्तरण अनुमत होगा।
परन्तु उक्त स्थानान्तरित कोटे की मात्रा देने वाले अनुज्ञाधारी के कोटे की मात्रा उसके वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार की राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक नहीं हो सकेगा। साथ ही कोई भी ऐसी मात्रा प्राप्त करने वाला अनुज्ञाधारी भी अपने वार्षिक एकाकी विशेषाधिकारी की राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगा। आगामी वर्ष में एकाकी विशेषाधिकार राशि निर्धारण में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

3.9 कम्पोजिट दुकान:-

3.9.1 राज्य के ग्रामीण क्षेत्र एवं 'चतुर्थ श्रेणी' की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) की देशी मदिरा की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी।

3.9.1.1 राज्य में ग्रामीण क्षेत्र एवं चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें निम्न श्रेणी की होगी:-

(i) परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें: नगर निगम/नगर परिषद द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की नगर पालिका की सीमा से 5 किमी परिधि में स्थित गांवो में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें कहलायेगी ।

(ii) चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की कम्पोजिट दुकाने 'चतुर्थ श्रेणी' की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें ''चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की कम्पोजिट दुकानें" कहलायेगी।

(iii) ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें: परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित कम्पोजिट दुकानों ''ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें" कहलायेगी ।

3.10 वर्ष 2020-21 के लिये कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना बिन्दु संख्या 3.11 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

3.10.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित कम्पोजिट फीस 31 मार्च 2020 तक राजकोष में जमा कराई जानी आवश्यक होगी।

3.10.2 नवगठित समूहों की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

3.11 वर्ष 2020-21 के लिये परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण:-

3.11.1 परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारणः- वर्ष 2020-21 के लिये कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस की गणना निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार की जायेगी।

3.11.2 वर्ष 2020-21 में ऐसी दुकानें जो बिन्दू संख्या 3.9.1.1 (i) के अनुसार परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें मानी गई है तथा जो 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में अवस्थित है, की कम्पोजिट फीस निर्धारण के लिये इस परिधि में स्थित गांवो को "अ" एवं "ब" दो श्रेणी में वर्गीकृत कर तद्नुसार वसूल की जायेगी।

(i) "अ" श्रेणी के गांव - वे गांव जिनमें वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019-20 तक देशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानें संचालित रही हो अथवा इन गांवों की सीमा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हुई हो।

(ii) "ब" श्रेणी के गांव - नगरीय क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि में स्थित "अ" श्रेणी के गांवों के अतिरिक्त समस्त गांव (सीमा में कही स्थित हो) "ब" श्रेणी के होगें।

3.11.3 वर्ष 2020-21 के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा संबंधित समूह की दुकान को "अ" श्रेणी के गांवों में संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उसके समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा की वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस) अथवा उस दुकान/समूह की वर्ष 2019-20 की आर.एस.बी.सी.एल की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 7 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव इस वर्ष में उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

"ब" श्रेणी के गांव में मदिरा दुकान संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उस दुकान/समूह की वर्ष 2019-20 की आर.एस.बी.सी.एल. की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 7 प्रतिशत अथवा समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि.मदिरा/बीयर दुकान की वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस) का 50 प्रतिशत अथवा रू. 75,000 में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

3.11.4 परिधीय क्षेत्र की अ श्रेणी के गांवों में अवस्थित कम्पोजिट दुकानों की उक्तानुसार निर्धारित कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

3.11.5 वर्ष 2020-21 के लिये परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस को 31 मार्च 2020 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

3.12 परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस के स्थानान्तरण का विकल्पः-

3.12.1 वर्ष के दौरान परिधीय क्षेत्र की "अ" श्रेणी के गांव में संचालित दुकान को अनुज्ञाधारी "ब" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराना चाहे तो कम्पोजिट फीस वापसी योग्य (refund) नहीं होगी, परन्तु "ब" श्रेणी गांव में संचालित दुकान "अ" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराये जाने पर "अ" व "ब" श्रेणी की कम्पोजिट फीस के अन्तर की राशि जमा करानी होगी।

3.12.2 परिधीय क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा सम्बन्धित वर्ष में देय कुल कम्पोजिट फीस की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि को अनुज्ञाधारी के आवेदन पर उस समूह की सम्बन्धित वर्ष की देशी मदिरा की वार्षिक राशि में सम्मिलित किया जा सकेगा।

3.12.3 वर्ष 2020-21 की वार्षिक राशि में सम्मिलित की जाने वाली अधिकतम कम्पोजिट फीस की 25 प्रतिशत राशि जोड़कर वर्ष 2020-21 के लिये उस समूह की वार्षिक राशि (ई.पी.ए) निर्धारित होगी। इस अधिकतम 25 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का समायोजन वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह सितम्बर से माह जनवरी तक 4 प्रतिशत प्रति माह एवं माह फरवरी में 5 प्रतिशत निर्धारित मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम पर देय आबकारी शुल्क के विरूद्ध किया जा सकेगा।

3.12.4 बिन्दु संख्या 3.12.3 के लिये विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

3.13 वर्ष 2020-21 के लिये चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारणः-

3.13.1 वर्ष 2020-21 के लिये "चतुर्थ श्रेणी" की नगर पालिका क्षेत्रो (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित देशी मदिरा दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जावेगीः-

(क) वर्ष 2020-21 के लिये सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में संचालित समस्त कम्पोजिट दुकानों की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल) की कुल एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 7 प्रतिशत राशि के बराबर कम्पोजिट फीस की गणना की जायेगी।

(ख) उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.13.1 (क) में गणना की गई राशि को संबंधित नगर पालिका क्षेत्र की सभी देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों में समान रूप से विभाजित कर प्रत्येक देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जायेगी।

3.14 ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारणः-

(i) वर्ष 2020-21 के लिये ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2019-20 की भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing

Amount) के 7 प्रतिशत अथवा वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित कम्पोजिट फीस अथवा रू. 50,000/- जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी।

सीमावर्ती जिलों के ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की उक्तानुसार निर्धारित कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

(ii) वर्ष 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्र के किसी समूह में एक से अधिक कम्पोजिट दुकाने होने पर आर.एस.बी.सी.एल. से भा.नि.वि. मदिरा एवं बीयर की सम्बन्धित वर्ष के लिये कुल एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि को समान रूप से विभाजित किया जाकर सम्बन्धित वर्ष के लिये प्रति कम्पोजिट दुकान के लिये कम्पोजिट राशि निर्धारित की जायेगी ।

3.15 वर्ष 2020-21 में "चतुर्थ श्रेणी" नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों अथवा ग्रामीण क्षेत्र के देशी मदिरा कम्पोजिट समूह की प्रत्येक दुकान के लिये सम्बन्धित वर्ष के लिये जमा कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि उस दुकान अथवा समूह के लिये सम्बन्धित वर्ष में भा.नि.वि.म./बीयर निर्गम के लिये देय "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे सम्बन्धित वर्ष में समायोजन योग्य होगी एवं सम्बन्धित वर्ष के दौरान इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

3.16 वर्ष 2016-17 के अनुरूप मदिरा भण्डारण के लिये निर्धारित वार्षिक फीस जमा कराने पर प्रत्येक समुह तथा रिटेल ऑफ दुकान हेतु एक गोदाम की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-12-2016 के अध्यधीन दी जा सकेगी। जिस हेतु रिटेल ऑफ के लिए 2.00 लाख या बेसिक लाईसेंस फीस का 10 प्रतिशत जो भी ज्यादा हो तथा कम्पोजिट/देशी मदिरा के ग्रुप के लिए जिस ग्रुप में एक ही दुकान है वहां के लिए ईपीए का 2 प्रतिशत अथवा 1.00 लाख रूपये वार्षिक जो भी अधिक हो तथा जिस समुह में एक से अधिक दुकानें है उनसे इपीए का 4 प्रतिशत या 2 लाख रूपये जो भी अधिक हो वार्षिक फीस देय होगी। इसमें रिटेल ऑफ अपने विक्रय काउंटर (दुकान) के 100 मीटर परिधि में तथा देशी मदिरा/कम्पोजिट मदिरा समुह अपने विशेषाधिकार समुह में सुविधानुसार उपलब्ध स्थल पर अनुमत किये जा सकेंगे, परन्तु, देशी/कम्पोजिट समुह में कोई भी गोदाम की अवस्थिति की स्वीकृति पड़ोस के अन्य समुह के लिए स्वीकृत गोदाम/दुकान से लगता हुआ गोदाम नहीं खोला जा सकेगा। उनकी पड़ोस के गोदाम/दुकान से न्युनतम 500 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा एवं आई0एम0एफ0एल0 की रिटेल ऑफ का गोदाम उनकी पड़ोस की गोदाम/दुकान से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किय जा सकेगा।

3.17 एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) की गणना निम्नानुसार की जायेगी:

(i) किसी भी समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा उस समूह की कम्पोजिट दुकानों के लिये मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु आर.एस.बी.सी.एल को वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम 9 माह में समूह की सभी कम्पोजिट दुकानों के लिये कुल अदा की गई राशि (Including

all levies, VAT and SVF) को (4/3) के फेक्टर से गुणा कर वर्ष 2020-21 के लिये एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि की गणना की जायेगी।

3.18 (i) भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2019-20 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2020-21 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2019-20 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2020-21 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों (परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों को छोड़कर) के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 20/- प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/- प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

(ii) जिन कम्पोजिट दुकान/समूहों की कम्पोजिट फीस रूपये 50 लाख से अधिक है ऐसे दुकान/ समूहों हेतु प्रति त्रैमास के लिये अपने निर्धारित कोटे से न्युनतम 5 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत तक भा.नि.वि.म./बीयर के उठाव किये जाने पर, उनके द्वारा अधिक उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क का प्रावधान किया जाकर अधिक उठाई गयी मात्रा पर निम्नानुसार प्रतिशत में अतिरिक्त आबकारी छूट देय होगा एवं अधिक उठाई गई मात्रा को आगामी कम्पोजिट फीस में नहीं जोड़ा जावेगा।

क्र0सं0	कम्पोजिट फीस	बीयर पर अतिरिक्त उठाव पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क प्रतिशत में	भा.नि.वि.मदिरा पर अतिरिक्त उठाव पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क प्रतिशत में
1	50 लाख से 1 करोड तक	30	30
2	1 करोड़ से 1.5 करोड़	20	20
3	रू. 1.5 करोड़ से अधिक	10	10

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के 950 रूपये तक ई.डी.पी. वाले ब्राण्ड पर अतिरिक्त आबकारी डयूटी में उपरोक्त क्रम संख्या 1 के लिये 20 प्रतिशत का प्रावधान लागू होगा। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर सकेंगें।

3.19 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित समूह की कम्पोजिट फीस का पुनःनिर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

3.20 कम्पोजिट फीस का अनुपातिक आधार पर बन्दोबस्त करने तथा उसकी स्वीकृति हेतु राज्य सरकार आबकारी आयुक्त को अधिकृत कर सकेगी।

3.21 जिन समूहों में वर्ष 2020-21 हेतु कम्पोजिट शुल्क की राशि रूपये 1.00 करोड़ से अधिक है उनको कम्पोजिट शुल्क की 50 प्रतिशत राशि दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व राजकोष में

जमा करानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि आगामी तीन माह की अवधि में समान तीन किश्तों जमा करानी होगी।

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा:

4.1 बन्दोबस्त प्रक्रिया:-

वर्ष 2020-21 के लिये आवेदन आमंत्रित कर भा.नि.वि.म./ बीयर की दुकानों का बन्दोबस्त किया जायेगा। इस वर्ष भा.नि.वि. मदिरा/बीयर की दुकानों हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें, जो कि विभागीय वेबसाईट के साथ-साथ आवेदन पत्र के साथ भी उपलब्ध कराये जायेगें।

4.1.1 एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व की भांति जिला कलक्टर के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाटरी निकाल कर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नही किया जायेगा।

4.2 दुकानों की संख्या:-

नगरीय क्षेत्रों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों की पूर्व निर्धारित संख्या 1000 रखी जायेगी।

4.2.1 राजस्थान पर्यटन विकास निगम को उनके उपलब्ध परिसर में रिटेल आफ दुकानों को स्थापित करने की अनुमति दी जावेगी। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा सकेंगें।

4.3 आवेदन शुल्क:-

वर्ष 2020-21 हेतु भा.नि.वि. मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ दुकानों के लिये आवेदन शुल्क प्रति दुकान रू. 30000/- निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदन के लिये पृथक-पृथक देय होगा, जो कि अप्रतिदेय (non-refundable) होगा।

4.4 लाईसेन्स फीस:-

4.4.1 वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक लाईसेन्स फीस श्रेणीवार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

(राशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	श्रेणी	वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस
		बेसिक लाईसेन्स फीस
1	2	3
1	जयपुर , जोधपुर	26.00
2	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	22.00
3	जिला मुख्यालय अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, पाली एवं गंगानगर	16.00

4	अन्य जिला मुख्यालय एवं नगरपालिका/ नगर परिषद कोटपुतली, ब्यावर, किशनगढ़, कुचामनसिटी, मकराना, देवली, रामगंजमण्डी, झालरापाटन, भवानीमण्डी, आबूरोड़, बालोतरा, भीनमाल, गंगापुरसिटी, हिन्डोनसिटी, निम्बाहेड़ा, फलौदी, सागवाड़ा एवं सूरतगढ़	15.00
5	अन्य नगरपालिकाएं ("चतुर्थ श्रेणी" की अन्य नगर पालिकाओं को छोड़कर)	13.00

4.5 स्पेशल वेण्ड फीसः-

वर्ष 2020-21 के लिये न्युनतम स्पेशल वेण्ड फीस को अग्रिम नहीं लेने से अनुज्ञाधारी को भा.नि.वि.मदिरा के निर्गम पर निर्धारित रूपये 10/- प्रति बल्क लीटर एवं बीयर पर रूपये 5/- प्रति बल्क लीटर की दर से स्पेशल वेण्ड फीस पृथक से नकद जमा करवानी होगी।

4.6 भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2019-20 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2020-21 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2019-20 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2020-21 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भा.नि.वि. मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ की दुकान एवं परिधीय क्षेत्र के कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 20/- प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/- प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। परन्तु उक्त प्रावधान रिटेल ऑन के लिए न्युनतम 5 प्रतिशत कम वृद्धि देने पर यह राशि उपर्युक्त दर पर वसूल योग्य होगी। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

4.7 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित समूह की कम्पोजिट फीस तथा बेसिक लाईसेंस फीस का पुनःनिर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

4.8 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के 25 यू.पी. तेजी की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (विस्की, ब्राण्डी, जिन, रम, वोदका आदि) का उत्पादन एसेप्टिक ब्रिक्स पैक/ग्लास में किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के स्वयं द्वारा अथवा अनुबन्ध आधार पर निजी उत्पादनकर्त्ताओं से इस श्रेणी की मदिरा का उत्पादन कराया जा सकेगा।

4.9 देशी मदिरा, भा.नि.वि. मदिरा एवं बीयर पर आबकारी शुल्क/फीस में संशोधनः-

4.9.1.1 वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा(RML)पर आबकारी शुल्क तथा बेसिक लाईसेंस फीस निम्नानुसार तय की जाती हैः-

क्र0सं0	मदिरा का प्रकार	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल राशि रूपयों में	बेसिक लाईसेंस फीस प्रति बल्क लीटर (राशि रूपयों में)
1	देशी मदिरा	170	10
2	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)	170	50

4.9.1.2 बेसिक लाईसेंस फीस की वसूली मदिरा समूहों से मदिरा क्रय करते समय आबकारी शुल्क के साथ की जावेगी।

4.9.1.3 राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी शुल्क निर्माता एवं आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा राजकोष में अग्रिम भुगतान करना होगा एवं रिटेलर्स से वसूली एवं निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं को पुर्नभरण आर.एस.जी.सी.एम द्वारा किया जायेगा। विस्तृत दिशानिर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगे।

4.9.2 राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)एवं देशी मदिरा हेतु न्युनतम फुटकर विक्रय मूल्य के साथ अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को भी तय किया जाने का प्रावधान किया जाता है। इस अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य के साथ साथ न्युनतम विक्रय मूल्य में भी फुटकर विक्रेता का मार्जिन शामिल किया गया है। उक्त दोनों मूल्यों को लेबल पर बडे एवं स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जावेगा। अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक पर बेचान पर कड़ी कार्यवाही का प्रावधान रहेगा।

वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा (ईएनए तथा रेक्टीफाईड स्प्रिट से निर्मित) ग्लास/पेट /एसेप्टिक ब्रिक पैक एवं राजस्थान निर्मित मदिरा(RML)कें ग्लास/एसेप्टिक ब्रिक पव्वों का न्युनतम एवं अधिकतम फुटकर मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः-

क्र0सं0	देशी मदिरा / राजस्थान निर्मित मदिरा	180 एमएल निप्स का न्युनतम फुटकर विक्रय मूल्य (राशि रूपयों में)	180 एमएल निप्स का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (राशि रूपयों में)
1	आरएस निर्मित 40 यूपी ग्लास	40	50
2	आरएस निर्मित 40 यूपी पेट	39	49
3	आरएस निर्मित 50 यूपी पेट	34	43
4	आरएस निर्मित 60 यूपी पेट	27	34
5	इएनए निर्मित 40 यूपी ग्लास	41	51
6	इएनए निर्मित 40 यूपी पेट	40	49
7	इएनए निर्मित 50 यूपी पेट	35	43
8	राजस्थान निर्मित मदिरा(RML)एसेप्टिक ब्रिक पेक में	57	69

9	राजस्थान निर्मित मदिरा(RML) ग्लास पात्र में	58	70
10	आरएस निर्मित 40 यूपी एसेप्टिक ब्रिक पेक में	40	50
11	इएनए निर्मित 40 यूपी एसेप्टिक ब्रिक पेक में	41	51

4.9.3 वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा के परमीट फीस की दर को एक रूपया प्रति बल्क लीटर यथावत रखा जाता है।

4.9.4 वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा हेतु बेसिक लाईसेंस फीस का निर्धारण किया जाता है जो देशी मदिरा हेतु 10 रूपये प्रति बल्क लीटर तथा राजस्थान निर्मित मदिरा पर 50 रूपये प्रति बल्क लीटर होगा। जिसकी वसूली आबकारी शुल्क के साथ रिटेलर्स से की जावेगी।

4.9.5 वर्ष 2020-21 के लिये भा.नि.वि.मदिरा तथा BIO (Bottled in Origin) की आबकारी शुल्क/फीस की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

एक्स डिस्टलरी मूल्य	आबकारी शुल्क की वर्तमान दर	संशोधित एक्स डिस्टलरी मूल्य	आबकारी शुल्क की संशोधित दर
Upto रू 401 से 550 तक	रू. 120+(0.17 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर य. परन्तु न्यूनतम 195/- प्रति प्रुफ लीटर	रूपये 451 से 600 रूपये	रू. 120+(0.17 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर परन्तु न्यूनतम 195/- प्रति प्रुफ लीटर
रू. 550 से अधिक तथा 700 तक	रू. 109+(0.24 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 600 से अधिक तथा 750 तक	रू. 109+(0.24 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 700 से अधिक एवं 900 तक	रू. 225+(0.08 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 750 से अधिक एवं 950 तक	रू. 225+(0.08 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 900 से अधिक एव 1100 तक	रू. 237+(0.07 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 950 से अधिक एव 1150 तक	रू. 237+ (0.07 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर

रू. 1100 से अधिक एव 1300 तक	रू. 264+(0.05 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 1150 से अधिक एव 1350 तक	रू. 264+ (0.05 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 1300 से अधिक एव 1500 तक	रू. 293+(0.03 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 1350 से अधिक एव 1550 तक	रू. 293+ (0.03 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 1500 से अधिक एव 3000 तक	रू. 400 प्रति प्रुफ	रू. 1550 से अधिक एव 3100 तक	रू. 400 प्रति प्रुफ
रू. 3000 से अधिक एव 8000 तक	रू. 500 प्रति प्रुफ लीटर	रू. 3100 से अधिक एव 8000 तक	रू. 500 प्रति प्रुफ लीटर
रू. 8000 से अधिक एव 10000 तक	35 प्रतिशत एड-वेलोरम अथवा रू. 500/- प्रति एल.पी.एल. जो भी अधिक हो।	रू. 8000 से अधिक एव 10000 तक	35 प्रतिशत एड-वेलोरम अथवा रू. 500/- प्रति एल.पी.एल. जो भी अधिक हो।
रू. 10000 से अधिक एव 25000 तक	40 प्रतिशत एड-वेलोरम	रू. 10000 से अधिक एव 25000 तक	40 प्रतिशत एड-वेलोरम
रू. 25000 से अधिक एव 50000 तक	45 प्रतिशत एड-वेलोरम	रू. 25000 से अधिक एव 50000 तक	45 प्रतिशत एड-वेलोरम
रू. 50000 से अधिक	50 प्रतिशत एड-वेलोरम	रू. 50000 से अधिक	50 प्रतिशत एड-वेलोरम

4.9.5.1 नेपाल एवं भूटान निर्मित मदिरा एवं बीयर आयात को देश के अन्य राज्यों की भाँति आयात/निर्यात माना जायेगा।

4.9.5.2 आबकारी शुल्क/फीस की अन्य दरें यथावत रहेंगी। भा. नि. वि. म. का 90 ml एवं 180 ml पैकेजिंग उत्पादन एवं विक्रय एसेप्टिक ब्रिक्स पैक तथा केन में भी हो सकेगा। इस भारत निर्मित विदेशी मदिरा के केन पेक में आपूर्ति को प्रति त्रैमासिक समीक्षा करके राज्य हित में होने पर ही आगामी त्रैमास में जारी रखे जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

4.9.6 25 यूपी की राजस्थान निर्मित मदिरा कम्पोजिट एवं देशी मदिरा की दुकानों पर ही बेचान की जायेगी एवं यह नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि.मदिरा दुकानों पर बेचान स्वीकृत

नहीं होगा। राजस्थान निर्मित मदिरा का 30 प्रतिशत न्युनतम उठाव अनिवार्य होगा। इस 30 प्रतिशत मदिरा उठाव का भराव देशी मदिरा हेतु निर्धारित मासिक एकाकी विशेषाधिकार के लिए निर्धारित ड्युटी के पेटे दिया जावेगा।

4.9.7 फ्रेंचाईज अनुज्ञापन फीस - वर्तमान में देशी मदिरा एवं भा.नि.वि.मदिरा तथा बीयर ब्राण्ड के फ्रेन्चाईज अनुबन्ध के आधार पर बोटलिंग हेतु वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क के लिए बोटलिंग करने वाली ईकाई के वार्षिक अनुज्ञापन फीस का 50 % राशि के प्रावधान को 3.00 लाख रूपये वार्षिक किया किया जाता है तथा भानिविम, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) तथा देशी मदिरा की निर्धारित बोटलिंग फीस 5.50 रूपया प्रति बल्क लीटर को फ्रेंचाईजी आधार पर भराई के लिए 7.50 रूपया प्रति बल्क लीटर बोटलिंग फीस देय होगी। बीयर हेतु वर्तमान में फ्रेंचाईजी से भराव पर 4.50 रूपया प्रति बल्क लीटर का प्रावधान को यथावत रखा जाता है। किसी भी बोटलिंग प्लान्ट/आसवनी/यासवनी द्वारा अन्य ईकाई के ब्रांड्स की बोटलिंग हेतु फ्रेंचाईजी करार की स्थिति में प्रत्येक पृथक ईकाई के लिए पृथक लाईसेंस फीस देनी होगी।

4.9.8 ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबल अनुमोदन शुल्कः-

वर्ष 2020-21 में ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबल अनुमोदन आगामी 3 वर्षो तक लागू करने हेतु एक बारगी ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रति ब्राण्ड रू. 1.75 लाख एवं लेबल अनुमोदन शुल्क प्रति लेवल रू. 1.75 लाख निर्धारित किया जाता है।

एक वर्षीय प्रावधान के तहत भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ बीयर के ब्रांड पंजीयन का फीस रूपये 50,000 प्रतिवर्ष तथा प्रति लेबल अनुमति हेतु फीस 50,000 रूपये एवं राजस्थान से बाहर निर्यात हेतु लेबल अनुमति फीस 25,000 रूपये की जाती है। आयातित विदेशी मदिरा/बीयर (BIO) के ब्राण्ड के लेबल अनुमोदन शुल्क, प्रति लेबल शुल्क रू. 25000/- प्रति वर्ष किया जाता है तथा आयातित विदेशी मदिरा/बीयर (BIO) के ब्राण्ड का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा। भारत निर्मित विदेशी मदिरा के राजस्थान राज्य से बाहर स्थित ईकाई के ब्रांड रजिस्ट्रेशन हेतु यह आवश्यक होगा कि उनका ब्रांड निर्माण होने वाले राज्य में बिक्री होता हो। सभी भारत निर्मित विदेशी मदिरा के मोनो कार्टन में बदलाव पर उसके स्वीकृति का प्रावधान है उसकी फीस प्रति ब्रांड मोनो कार्टन 25000/- रूपये लिया जायेगा, परन्तु, राज्य में प्रथम बार ब्रांड के पंजीयन पर यह फीस देय नहीं होगी अग्रतर उसमें अन्य किसी भी बदलाव पर लागू होगी।

4.9.9 राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 69 बी के तहत विभिन्न परमिट पर देय फीस में निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:-

Fee per Bulk Litre (in Rs.)

S.No.	Fee for certain permit	Bringing into	Sending out	Transport within
3	Rectified Spirit for manufacturing of country liquor	5.00 (including RSGSM)	2.00	1.00
4	Extra Neutral Alcohol, High Bouquet Spirit and	7.00	4.00	1.00

	like Spirits/ Alcohol for Liquor manufacture			
5	Rectified Spirit for other purposes	15.00	2.00	5.00
6.	Extra Neutral Alcohol, High Bouquet Spirit and like Spirits/ Alcohol for other purposes	6.00	4.00	5.00

4.9.10 लेबल पंजीकरण तथा अनुमति हेतु आवेदन ऑनलाइन किया जाकर समस्त ईकाईयां/ आपूर्तिकर्ता जो राज्य में अपने ब्रांड तथा लेबल अनुमत कराना चाहते हैं उनको आनलाईन आवेदन तथा ब्रांड पंजीयन व लेबल अनुमति की स्वीकृति की सुविधा प्रदान की जावेगी। जिससे उनके समय की बचत होगी तथा समय पर निर्गम / आपूर्ति में सुगमता रहेगी। आगामी वित्तीय वर्ष में आपूर्ति बाधित नहीं हो इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आपूर्तिकर्ता को अपने ब्रांड तथा लेबल का अनुमोदन पूर्व वित्तीय वर्ष के माह मार्च में ही अनुमत कराने होगें। इसी प्रकार मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया भी माह मार्च में ही आर0एस0बी0सी0एल0 स्तर से पूर्ण कर लेनी होगी।

4.9.11 भारत निर्मित विदेशी मदिरा हेतु एक्स डिस्टलरी मूल्य रूपये 950 तक के IMFL मदिरा ब्रांड पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क वर्तमान में 20 प्रतिशत से बढाकर 25 प्रतिशत किया जाता है।

4.9.12 राज्य में बीयर आपूर्ति हेतु के लिए Best before use की अवधि को 6 माह से बढाकर 1 वर्ष किया जाता है।

4.9.13 निर्माण इकाईयों की लाईसेंन्स फीस का निर्धारण:-

निर्माण इकाईयों की वर्तमान में प्रचलित वार्षिक लाईसेन्स फीस को उत्पादन क्षमता के आधार पर निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

किस्म अनुज्ञापत्र	उत्पादन क्षमता (किलो लीटर में)	वार्षिक लाईसेन्स फीस 2019-20 (लाख रुपये में)	वार्षिक लाईसेन्स फीस 2020-21 (लाख रुपये में)
डिस्टलरी (प्रतिदिन आंकडे)	30 तक 30 से अधिक एवं 50 तक 50 से अधिक एवं 75 तक 75 से अधिक	37.50 45.00 52.50 60.00	40.00 50.00 60.00 65.00
ब्रेवरी (प्रतिवर्ष आंकडे हजार किलो लीटर में)	30 तक 30 से अधिक एवं 50 तक 50 से अधिक एवं 75 तक 75 से अधिक	30.00 37.50 52.50 60.00	35.00 40.00 55.00 65.00
बोटलिंग प्लांट	देशी मदिरा भराई	3.00 9.75	3.50 10.00

	भा.नि.वि. मदिरा भराई वाईनरी भराई	0.37	0.40
हेरीटेज प्लांट		7.50	8.00
वाईनरी		0.75	0.80

वर्तमान में कार्यरत एवं अनुज्ञाप्तिधीन डिस्टलरी, ब्रेवरी, वाईनरी, हेरीटेज शराब निर्माण ईकाइ एवं बोटलिंग प्लान्ट के अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण तथा नई स्थापित होने वाली ईकाइयों के लिये उपरोक्तानुसार उत्पादन क्षमता के आधार पर लाईसेन्स फीस देय होगी।

4.9.14 वाईन के वाईनरी में बेचने व टेस्टिंग की सुविधा - राज्य में खाद्य प्रंसकरण को बढावा देने हेतु राजस्थान में स्थित वाईनरीज को अपने वाईनरी परिसर में एक "वाईन टावर्न (Wine Tasting room)" जिसका तात्पर्य एक स्थल जहां वाईन को पसन्द करने वालों को टेस्टिंग की अनुमति होगी। इस हेतु वाईन को नियमानुसार आर0एस0बी0सी0एल0 के डिपो से ही क्रय करके विक्रय किया जावेगा। इस हेतु प्रतिवर्ष 10000 रूपये शुल्क लिया जावेगा।

4.9.15 राज्य की स्थानीय बीयर निर्माता कम्पनियों से यथासंभव न्यूनतम निश्चित मात्रा में बीयर का उठाव किया जाना होगा। जिसका विस्तृत दिशा निर्देश आर.एस.बी.सी.एल. अपनी आपूर्ति नीति में करेंगें।

4.10 आयातित विदेशी मदिरा/बीयर (BIO) ब्राण्ड के होलसेल बोण्डः-

BIO ब्राण्ड के होलसेल वेण्ड राज्य के जयपुर जिले की सीमा में स्वीकृत किया जा सकेंगे। उक्त होलसेल वेण्ड की लाईसेन्स फीस प्रति वर्ष 10 ब्राण्ड के लिये 6 लाख रूपये निर्धारित की गई है एवं 10 ब्राण्ड से ऊपर प्रत्येक ब्राण्ड के लिये 10 हजार रूपये प्रति ब्राण्ड वार्षिक लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है। इस बाबत् आबकारी आयुक्त राजस्थान विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगे।

4.11 आयातित विदेशी मदिरा हेतु होलसेल बांडः-

राज्य में विदेशों से आयातित मदिरा/बीयर/ वाईन ब्रांडों की बढती मांग के कारण इसके मिलावटी व अवैध व्यापार तथा तस्करी को रोकने के उद्देश्य से राज्य में ही इनकी उपलब्धता को सुलभ बनाने के लिए राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड अथवा उसके फ्रेंचाईजी दूवारा जयपुर जिले में आयातित विदेशी मदिरा के होलसेल बॉड संचालित किये जावेगें तथा आरएसबीसीएल एवं फ्रेंचाईजी द्वारा राज्य में अन्य स्थानों पर भी इसके आउटलेट संचालित किये जा सकेगे, जिससे विदेशी आयातित मदिरा एवं बीयर के ब्रांडों की सुलभ आपूर्ति संभव हो सकेगी। इससे सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त जारी करेंगे।

4.12 राज्य में पूर्व की भांति राजस्थान पर्यटन विकास निगम अथवा आरएसबीसीएल आदि सरकारी विपणन संस्थाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार पी0ओ0एस0 मशीन से बिल की तथा एसी आदि की सुविधायुक्त दुकानों की स्थापना की जावेगी जहां देशी मदिरा को छोड़कर अन्य समस्त अनुमत भारतीय तथा आयातित ब्रांड की मदिरा

उपलब्ध रहेगी जिससे उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य एवं सही गुणवत्ता की मदिरा उपलब्ध हो।

4.13 समस्त गोदामों तथा दुकानों के लोकेशन ऑनलाइन स्वीकृत किये जायेंगे। उनके जीओ टेग के कारडिनेट डाटा को आनलाईन फीड करके आस पास के विद्यालय, धार्मिक स्थल, आंगनवाडी तथा अस्पताल आदि को शामिल किया जाकर उनकी स्थिति स्पष्ट अंकित करनी होगी।

आंगनवाड़ी की अवस्थिति मदिरा दुकान की लोकेशन स्वीकृति के लिए भी नियमों में जोड़ा जावेगा।

4.14 ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली :-

मदिरा उत्पादन एवं निकासी की व्यवस्था की इलेक्ट्रानिक माध्यम से ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली द्वारा नियंत्रित करने की कार्यवाही प्रचलित की जावेगी जिसमें होलोग्राम से युक्त क्युआर कोड सहित सूचनाओ को दर्ज करके इस हेतु ट्रेक एवं ट्रेस की प्रणाली अपनायी जावेगी।। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आसवनियों/यासवनियों एवं बाण्ड धारक ईकाईयों में बाटलिंग/आयात के स्तर से मदिरा के विभिन्न ब्रांड एवं धारिताओं को रिटेल स्तर तक इलेक्ट्रानिक प्रणाली द्वारा ट्रेक एण्ड ट्रेस किये जाने की व्यवस्था से सुदृढ किया जावेगा। अतः आसवनियों/यासवनियों, थोक अनुज्ञापनों तथा फुटकर अनुज्ञापनों के स्तर पर ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली हेतु आवश्यक व्यवस्था का अनुरक्षण अनिवार्य किया जाता है।

4.15 वित्तीय वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/ बीयर की समस्त प्रकार की दुकानों पर पी.ओ.एस. (Point of sale) की व्यवस्था की जावेगी एवं मदिरा विक्रय पर बिल जारी किया जाना अनिवार्य किया जाता है। राज्य में पूर्व की भांति राजस्थान पर्यटन विकास निगम अथवा आरएसबीसीएल आदि सरकारी विपणन संस्थाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार पी0ओ0एस0 मशीन से बिल की तथा एसी आदि की सुविधायुक्त दुकानों की स्थापना की जावेगी जिससे उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य एवं सही गुणवत्ता की मदिरा उपलब्ध हो।

4.16 बीयर तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (MRP) के आगणन में आर0एस0बी0सी0एल0 की कोस्ट शीट में प्राप्त गणना में पैसों को आगामी रूपया में राउण्ड ऑफ की राशि आर0एस0बी0सी0एल0 की आय होगी एवं इस प्रकार से प्राप्त अधिकतम फुटकर विक्रय मुल्य को आगामी 0 अथवा 5 जो भी पहले हो के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जावेगा तथा अन्तर की धनराशि रिटेलर की आय होगी।

4.17 आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2020-21 का क्रियान्वयन एवं प्रभावी दिनांक 1 अप्रेल 2020 से होगा । परन्तु, आबकारी बन्दोबस्त में लगने वाले समय एवं उक्त नीति के अन्तर्गत जारी होने वाले विभिन्न अनुज्ञापत्रों की फीस सम्बन्धित आबकारी नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से पूर्व राजकोष में जमा करायी जानी

आवयश्क होती है, अतः तद्नुसार इसमें कार्यवाही दिनांक 1 अप्रेल, 2020 से पूर्व सम्पादित होती है।

4.18 ऐसी डिस्टलरीज/ बोटलिंग प्लान्ट, ब्रेवरीज ईकाईयां जिनके पास आबकारी विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र है परन्तु सम्बन्धित ईकाई द्वारा तीन वर्ष या ज्यादा अवधि नवीनीकृत नहीं कराया जा सका है, को ईकाई द्वारा आवेदन करने पर आवेदन वर्ष की पूर्ण फीस जमा कराने पर नवीनीकृत किया जा सकेगा। प्रकरण में रोजगार उपलब्ध कराने एवं आबकारी राजस्व में अतिरिक्त वृद्धि के क्रम में ऐसी ईकाइयों को पूर्व के वर्षों का कुल देय लाईसेंस फीस का नवीनीकरण शुल्क का 25 प्रतिशत ही जमा कराना होगा। अन्य देयता जैसे वेण्ड फी, ब्याज, पेनल्टी आदि में छूट प्रदान की जाती है।

4.18.1 ऐसे बार जिनके पास आबकारी विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र है परन्तु सम्बन्धित बार अनुज्ञाधारी द्वारा तीन वर्ष या ज्यादा अवधि नवीनीकृत नहीं कराया जा सका है, को अनुज्ञाधारी द्वारा आवेदन करने पर आवेदन वर्ष की पूर्ण फीस जमा कराने पर नवीनीकृत किया जा सकेगा। प्रकरण में रोजगार उपलब्ध कराने एवं आबकारी राजस्व में अतिरिक्त वृद्धि के क्रम में ऐसे अनुज्ञाधारियों को पूर्व के वर्षों का कुल देय लाईसेंस फीस का नवीनीकरण शुल्क का 25 प्रतिशत ही जमा कराना होगा। अन्य देयता जैसे स्पेशल वेण्ड फी, ब्याज, पेनल्टी आदि में छूट प्रदान की जाती है।

(5) रिटेल ऑन (Retail-on) होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार:-

5.1. होटल बार:

5.1.1 सभी श्रेणी के होटल बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंम्भिक लाईसेन्स फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

S NO	Category	Initial fees for year 2020-21 or part thereof (Rs. In lac)			
		Basic Licence Fees	Additional counter fees	Number of Adl. counters compulsury	Total Fee (Col No. 3 + (4 x5)
1	2	3	4	5	6
1	Luxury Hotel/Train :				
	i. Five Star Hotel	15.00	5.00	3	30.00
	ii. Four Star Hotel	12.00	5.00	2	22.00
	iii. Three Star Hotel	10.00	5.00	1	15.00
	iv. Luxury Train	10.00	0		10.00
2	Other Hotels :-				
	Situated in and within				
	(i) Within urbanisable limit of Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Mount Abu, Jaisalmer; and limit up to 10 Kilometer periphery of Kumbhalgarh fort				20.00

	(ii) Within urbanisable limit of other Divisional/ District Headquarters, Bhiwadi UIT urbanisable limit; Ranakpur temple and Ranthambhor National park,s 5 kilometer periphery limit.	13.00
	(iii) Other areas not covered in above 2(i) & 2(ii)	8.00
3.	Heritage Hotel :-	
	Situated in and within	
	(i) Within urbanisable limit of Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Mount Abu, Jaisalmer; and limit up to 10 Kilometer periphery of Kumbhalgarh fort .	10.00
	(ii) Within urbanisable limit of other Divisional/ District Headquarters, Bhiwadi UIT urbanisable limit ; Ranakpur temple and Ranthambhor National park,s 5 kilometer periphery limit.	8.00
	(iii) Other areas not covered in above 3(i) and 3(ii)	5.00

5.1.2 पांच सितारा होटल के लिए बार हेतु अतिरिक्त तीन काउंटर, चार सितारा होटल के लिए अतिरिक्त दो ,तीन सितारा होटल के लिए एक अतिरिक्त काउंटर तथा उपर्युक्त केटेगरी के क्रम संख्या 2 व 3 में 50 कमरों से ज्यादा होने पर एक अतिरिक्त काउंटर अनिवार्य स्वीकृत होंगे तथा उपर्युक्त टेबल के क्रम0 सं0 एक के कालम 4 में अंकित काउंटर फीस अनिवार्य होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त काउन्टर की फीस उपर्युक्त टेबल के क्रम0 सं0 एक के कालम 4 में अंकितानुसार होगी।

5.1.3 पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा राजस्थान टूरिज्म पालिसी 2015 के बिन्दू संख्या 2 के उपबिन्दु 1 से 9 तक परिभाषित पर्यटन इकाईयों को होटल/रेस्टोबार से संबंधित प्रावधानों के तहत लाईसेन्स दिये जा सकेंगे।

5.2. रेस्टोरेन्ट बार:

विभिन्न श्रेणी के रेस्टोरेंन्टस् के बार लाईसेन्स हेतु लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(राशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	श्रेणी	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रारम्भिक लाईसेन्स फीस
1	2	3
1	वे रेस्टोरेन्ट जो इन स्थानों पर और इनकी नगरीकरण (urbanisable) योग्य सीमा में स्थित हो -	
	(अ) जयपुर/जोधपुर मुख्यालय तथा अन्य सम्भाग मुख्यालय, माउन्ट आबू एवं जैसलमेर ; तथा कुम्भलगढ किले के 10 किमी परिधीय क्षेत्र	12.00

	(ब) अन्य जिला मुख्यालय के नगरीकरण योग्य सीमा; तथा अन्य नगरपालिका एवं भिवाड़ी युआइटी क्षेत्र।	8.00
2	अन्य वे रेस्टोरेन्ट जो उपरोक्त (अ) से (ब) स्थानों में शामिल नही।	5.00

5.3 क्लब बार की श्रेणी एवं प्रस्तावित लाईसेन्स फीसः-

क्र.सं.	श्रेणी	लाईसेन्स फीस वर्ष 2019-2020	निर्धारित प्रारम्भिक लाईसेन्स फीस
1	2	3	4
1	सिविल क्लब- जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर	2.00	2.00
	सिविल क्लब - अन्य स्थान	1.50	1.50
2	कामर्शियल क्लब- जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर	6.00	8.00
	कामर्शियल क्लब - अन्य स्थान	4.00	5.00

5.3.1 पत्रकारों, राज्य कार्मिकों से सम्बन्धित क्लब हेतु बार अनुज्ञापत्र के लिए सिविल क्लब हेतु देय वार्षिक फीस का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

5.3.2 बार अनुज्ञा पत्र धारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वित्तीय वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन कर नवीनीकरण कराना होगा अन्यथा आगामी तीस दिन के भीतर अपना अनुज्ञापत्र विभाग को समर्पित करना होगा। किसी भी अनुज्ञाधारी द्वारा अपना अनुज्ञा पत्र समर्पित नहीं करने पर उसे भविष्य में कभी नवीनीकरण कराने पर बीच की अवधि की पूर्ण अनुज्ञा फीस देनी होगी। समय पर समर्पित कराये गये अनुज्ञाधारी बाद में बीच की अवधि जो भी हो की बिना नवीनीकरण शुल्क के नवीन अनुज्ञा पत्र की तत्समय निर्धारित शुल्क जमा कराकर आवेदन कर हेतु नियमानुसार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए पात्र रहेगें।

5.4 रिटेल ऑन (Retail-on) अनुज्ञाधारी द्वारा भा.नि.वि. मदिरा/बीयर निर्गम हेतु निर्धारित "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" देय नहीं होगी। परन्तु उनके द्वारा गत वर्ष के उठाव से न्युनतम 5 प्रतिशत अधिक मात्रा में उठाव किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, अन्यथा मद्य संयम नीति वर्ष 2020-21के बिन्दु संख्सा 3.18(i) के अनुसार (राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल/ रेस्टोरेंट बार को छोड़कर अन्य से) अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी।

(6) भांग:-

6.1 बन्दोबस्त प्रकिया -

वर्ष 2020-21 के लिये भांग समूहों का बन्दोबस्त निविदायें आमंत्रित कर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.2 समूहों की संख्या -

वर्ष 2019-20 में भांग दुकानों के 30 समूह हैं। प्रत्येक भांग समूह में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में वास्तविक रूप से संचालित हो रही भांग की खुदरा दुकानों की संख्या के समान ही उस भांग समूह विशेष में सम्मिलित दुकानों की संख्या होगी। आवश्यक होने पर आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से दुकानों की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकेगी।

6.3 आरक्षित राशि का निर्धारण -

वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित अनुज्ञा राशि में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2020-21 के लिये अनुज्ञाराशि निर्धारित की जायेगी ।

6.4 भांग के रिटेल वेण्डर को प्रत्येक माह की अगली 15 तारीख तक संबंधित आबकारी निरीक्षक को मासिक रिपोर्ट (भांग की प्राप्ति-बिक्री एवं बैलेंस) प्रेषित करना आवश्यक होगा। भांग समूहों के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान पूर्व वर्षो की भांति यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। आबकारी निरीक्षक अपने वृत्त क्षेत्राधिकार में ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित भांग की खुदरा दुकानों का निरीक्षण प्रति 3 माह में एक बार अनिवार्य रूप से करेंगें। आबकारी निरीक्षक अपने वृत्त क्षेत्राधिकार में नगरीय निकाय क्षेत्र में अवस्थित भांग की खुदरा दुकानों का निरीक्षण प्रति 2 माह में एक बार अनिवार्य रूप से करेंगें।

(7) बन्दोबस्त से शेष रही दुकानों को आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकता होने पर अन्य जिले में स्थानान्तरित किया जावेगा अथवा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा संचालित कराया जायेगा ।

(8) आबकारी बन्दोबस्त के अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली दुकानों के अनुज्ञापत्र राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्तियों/ जन सेवको को राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में जारी नही किये जाने का प्रावधान नियमों में सम्मिलित किया जायेगा।

(9) रिटेल लाईसेन्स की शर्तो के उल्लंघन पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर दर्ज होने वाले अभियोगों में अनुज्ञा पत्र निलम्बन/ निरस्तीकरण किया जाने का प्रावधान किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र की अन्य शर्तों के उल्लंघन करने पर प्रथम तीन बार अनुज्ञाधारी को लिखित चेतावनी दी जायेगी, तत्पश्चात, अभियोग दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियम 58 सी के तहत सामान्य शर्तों के उल्लंघन करने पर शास्ती आरोपित करने हेतु आबकारी आयुक्त को राज्य सरकार समय समय पर प्राधिकृत कर सकेगी।

(10) इंस्पेक्टर राज की समाप्ति एवं प्रक्रियात्मक सरलीकरण के सम्बन्ध में निर्देश -

(i) वर्ष 2019-20 में मदिरा की दुकान/गोदाम की अवस्थिति इस वर्ष 2020-21 में बन्दोबस्त के दौरान पूर्व स्थान के लिये ही अनुज्ञाधारी द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो दुकान की अवस्थिति की स्वीकृति स्वतः ही मानी जायेगी।

(ii) अनुज्ञापत्रों के साधारण शर्तों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही के स्थान पर तीन बार चेतावनी का अवसर दिये जाने का प्रावधान किया जाता है।

(iii) अनुज्ञाधारी दुकान पर पुलिस विभाग का अनावश्यक हस्तक्षेप कम करना प्रक्रिया का सरलीकरण।

(iv) आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत की जाने वाली विभिन्न भा0नि0वि/बीयर/देशी मदिरा एवं कम्पोजिट दुकानों की लोकेशन जिओ टेंगिंग के आधार पर ऑनलाइन पद्धति से स्वीकृति की जावेगी।

(v) विभिन्न अनुज्ञापत्रों को ऑनलाइन जारी किये जाएंगें तथा उनका नवीनीकरण भी ऑनलाइन किया जावेगा तथा अधिक से अधिक सेवाओं को समय पर निष्पादित करने हेतु राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाया जायेगा।

(vi) स्प्रिट के निर्यात को भी ऑनलाइन किया जायेगा।

(vii) स्प्रिट के संचलन, परिवहन हेतु आसवनियों पर लगे गेट, वाहनों पर लगने वाले लॉक तथा स्प्रिट के खाली होने वाले स्थान पर आधुनिक संयंत्रों डिजीटल लॉक तथा आधुनिक सीसीटीवी व रेडियो फेक्वेंसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस से युक्त आधुनिकीकरण किया जाना अनिवार्य होगा जिसका समस्त व्यय संबन्धित ईकाईयों द्वारा वहन किया जावेगा।

(viii) देशी मदिरा मांग पत्र को ऑनलाइन किया जावेगा तथा आरएसजीएसएम के गोदामों पर उपलब्ध देशी/राजस्थान निर्मित मदिरा के ब्रांड वाईज स्टॉक का दुकानदारों को ऑनलाइन जानकारी मिलेगी जिसके आधार पर वे मदिरा का आवश्यकतानुसार चयन किया जा सकेगा।

(ix) आर0एस0बी0सी0एल0 के डिपो पर पहुंचने वाली मदिरा के वाहनों की रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस से युक्त सुविधा एवं खाली होने में कम से कम समय हेतु ऑनलाईन मॉनिटरिंग की जावेगी।

(x) आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों को मोबाईल एप के माध्यम से निरीक्षण प्रति मय फोटो अपलोड करने की अनिवार्यता की जाती है ताकि वास्तविक समय निरीक्षण हो सके।

(xi) अधिक से अधिक सेवाओं की जानकारी उपभोक्ता/आवेदक को जरीये एसएमएस एलर्ट की जावेगी।

(xii) आर.एस.बी.सी.एल. एवं गंगानगर शुगर मिल्स के गोदामों पर Modern Logistics Management System और RFIDC (Radio Frequency Based Identification) को लागू किया जायेगा ताकि शराब के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।

(xiii) राजस्थान आबकारी शाखा एवं निरोधक दल के फिल्ड में कार्यरत अधिकारियों वाहनों पर जी.पी.एस. सिस्टम लगाया जायेगा ताकि क्षेत्र में प्रभावी गश्त की कार्यवाही की जा सकेगी एवं इन वाहनों को Centralized Integrated online real time system से जोड़ा जायेगा।

(xiv) रिटेल ऑफ, रिटेल ऑन, देशी मदिरा एवं कम्पोजिट दुकानों हेतु बनाये जाने वाले नौकरनामों को ऑनलाइन किया जावेगा ।

(11) मद्य संयम के सम्बन्ध में नीतिगत निर्देश:

(i) दुकानें खोलने का समय: राज्य में मदिरा की अनुज्ञापत्र प्राप्त रिटेल ऑफ (Retail-off) दुकानें खुलने (10.00 बजे प्रातः) व बन्द (रात्रि 8.00 बजे) होने के समय की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाहीः मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मदिरा/बीयर पीने के लिये विशेषकर युवाओं को आकर्षित/लालायित करने हेतु लगाये गये प्रचार विज्ञापनों /बोर्ड आदि को हटाया जायेगा।

(iii) मदिरा पात्रों पर सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन: मदिरा के बोतल, अद्धा एवं पव्वा पर चिपकायें जाने वाले लेबल पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित फोन्ट साईज में "मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं" की सुस्पष्ट वैधानिक चेतावनी का उल्लेख किया जायेगा।

(iv) अवयस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थो की बिक्री पर रोक के प्रयास: 18 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग को नशीले पदार्थो की बिक्री न होने देने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

(v) दुकानों पर निर्धारित सूचना के अलावा विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोक: दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाइसेन्स नम्बर, अवधि व मूल्य सूची के अलावा अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(vi) नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार: नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने हेतु एवं जागरूकता लाने हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित की जायेगी, जिसमें मुख्यतः दूरदर्शन, समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाकर नशे के कुप्रभावों के बारे में प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस हेतु राज्य को प्राप्त होने वाले आबकारी राजस्व का 0.1% भाग (न्यूनतम 10.00 करोड़ रूपये) आरक्षित कर इससे शराब सेवन से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जन सामान्य को जागरूक किये जाने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जायेगा। आवश्यकतानुसार उक्त आरक्षित राशि का उपयोग मद्यसंयम प्रयोजनार्थ चिकित्सकीय/ जांच उपकरणों पर भी किया जा सकेगा।

(vii) सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना: सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन किये हुये अथवा करते हुये पाये जाने पर राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2013 में जुर्माने संबंधी प्रावधान को बढ़ाया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(viii) समीपवर्ती राज्यों हरियाणा एवं पंजाब की सीमाओं से राजस्थान राज्य में अवैध रूप से आने वाले मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष भर के लिये निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर कार्य योजना बनाई जाकर लागू की जायेगी!

(ix) सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ समन्वय करते हुये संयुक्त जांच दलों का गठन किया जायेगा।

(x) इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की मुखबिरी किये जाने की विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी।

(xi) 24 घण्टे निगरानी रखे जाने की दृष्टि से निगरानी दलों को वाहन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

(xii) सीमावर्ती जिलों में इस कार्यवाही का प्रभावी बनाये रखने के लिये सम्भाग स्तर पर आई जी रेन्ज की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जायेगी । इसमें कमेटी में आबकारी विभाग, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।

(xiii) निकटवर्ती राज्यों की नीतियों, जिनके कारण राजस्थान में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर संबंधित राज्य की सरकार के साथ संवाद स्थापित कर शराब की तस्करी पर नियंत्रण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(xiv) राज्य में केरल राज्य की तर्ज पर नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जावेगा जिसके लिए आवश्यक बजट आबकारी विभाग द्वारा किया जावेगा एवं राज्य में नशे की लत एवं इससे मुक्त होने की स्थिति का प्रतिष्ठित संस्थान से अध्ययन भी कराया जायेगा।

(12) शुष्क दिवस:

वर्तमान में निर्धारित 5 शुष्क दिवस गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती को वित्तीय वर्ष 2020-21 में यथावत रखा जायेगा।

(13) आबकारी विभाग के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव:

(i) आबकारी निरोधक दल में प्रहराधिकारी एवं सिपाहियों के रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिये गये हैं इसी अनुरूप रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

(ii) प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरोधात्मक कार्यवाही के लिये प्रहराधिकारियों एवं आबकारी निरीक्षकों को समुचित संख्या में राजकीय वाहन उपलब्ध करवाये जायेगें ।

(iii) वर्ष 2020-21 एवं इसके पूर्व के वर्षो में आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा अवैध शराब के परिवहन में जब्त वाहनों की नीलामी अब पूरे राज्य में ई- ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से की जायेगी। इससे लगभग रू. 25 करोड़ की राशि आबकारी विभाग को प्राप्त होगी। इस राशि की 50 प्रतिशत राशि को विभाग के निरोधात्मक कार्यवाहियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये नये वाहन एवं अन्य संसाधन यथा मोटर साईकिल, कम्प्यूटर, फर्निचर, टेन्ट, ड्रेगन लाईट, हैलमेट व ढाल इत्यादि क्रय करने के लिये उपलब्ध कराई जायेगी।

(iv) आबकारी प्रयोगशालाओं पर गुणवत्ता नियंत्रण के संदर्भ में बढ़ते हुये काम को देखते हुये भरतपुर संभाग मुख्यालय एवं जिला आबकारी अधिकारी उत्पादन इकाई के मुख्यालय बहरोड पर एक-एक आबकारी प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी।

(v) कई जिलों में आबकारी विभाग के स्वामित्व वाली जर्जर भवन एवं भूमि उपलब्ध है वर्तमान में इन भूमि एवं भवनों का विभाग के उपयोग के लिये आवश्यकता नही है अतः इन जर्जर भवनों एवं भूमि को विक्रय कर अतिरिक्त राशि प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(vi) विभाग के आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारी स्तर तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाई जाकर आबकारी वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को ऑनलाइन करने, सूचना संकलन एवं परिवादों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण को सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) आबकारी विभाग में मुख्यालय स्तर, जोन कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, सहायक आबकारी निरोधक कार्यालय, आबकारी निरीक्षक कार्यालय एवं प्रहराधिकारी कार्यालयों हेतु पूर्व वर्षो की भाँति मैन विथ मशीन की स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से ली जायेगी।

(viii) आबकारी विभाग में शराब के अवैध परिवहन के रोकथाम एवं प्रभावी कार्यवाही के लिये होमगार्ड के पूर्व वर्षों की भाँति स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से ली जायेगी।

(14) आबकारी बन्दोबस्त, मद्य-संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे ।

आगामी बंदोबस्त दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

डॉ. पृथ्वी,

शासन सचिव,

वित्त (राजस्व) विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।